

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषय :- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित सॉफ्टवेयर के संचालन एवं पर्यवेक्षण-अनुश्रवण तथा अन्य संबंधित कार्य हेतु NICS, New Delhi से प्राप्त Proforma Invoice की कुल राशि ₹42,71,588/- (बयालीस लाख एकहत्तर हजार पाँच सौ अठासी) रुपये मात्र अग्रिम निकासी की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष-0017-राजस्व एवं भूमि सुधार पर व्यय मांग संख्या-40 विपत्र कोड-40-2052000900017 के अन्तर्गत विषय शीर्ष-28-03 व्यावसायिक सेवाएँ कन्सल्टेन्सी मद में ₹5,00,00,000/- (पाँच करोड़) का बजट उपबंध है।
3. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), नई दिल्ली के Invoice सं0-PMPBR246228, दिनांक-06.03.2025 द्वारा ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित सॉफ्टवेयर, के संचालन एवं पर्यवेक्षण-अनुश्रवण तथा अन्य संबंधित कार्य के उद्देश्य से 06 माह के लिए लेवल-06 के 02(दो), लेवल-08 के 01 (एक), लेवल-07 के 02(दो), लेवल-01 के 02 (दो) एवं लेवल-04 के 04(चार) तकनीकी मानव बल उपलब्ध कराने हेतु कुल ₹42,71,588/- (बयालीस लाख एकहत्तर हजार पाँच सौ अठासी) का अनुमानित व्यय प्रतिवेदित है।
4. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), नई दिल्ली से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में उपलब्ध राशि में से तत्काल कुल ₹42,71,588/- (बयालीस लाख एकहत्तर हजार पाँच सौ अठासी) रुपये मात्र की अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी जाती है।
5. इस राशि की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना से सी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से की जाएगी। राशि को NICS (National Information Centre Service Inc.) के ICICI Bank खाता सं0-032201002813, IFSC-ICIC0000322 में अंतरित की जाएगी।
6. वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष-0017-राजस्व एवं भूमि सुधार पर व्यय मांग संख्या-40 विपत्र कोड-40-2052000900017 के अन्तर्गत विषय शीर्ष-28-03 व्यावसायिक सेवाएँ कन्सल्टेन्सी मद के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगा।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), नई दिल्ली द्वारा व्यय विवरणी एवं मूल अभिश्रव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी। व्यय की गई राशि का D.C. विपत्र तैयार कर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में समायोजन हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा।

8. राशि की निकासी के क्रम में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561वि०(2), दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर एतत्संबंधी निर्गत परिपत्रों/आदेशों/निदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जायेगा।
9. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।
10. स्वीकृत्यादेश सं०-764(9), दिनांक-20.03.2025 को रद्द समझा जाय।
11. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(डॉ० सुनील कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9A/ऑनलाईन सेवाएँ (मानव बल)-03-03/2024-.....(9)/रा०पटना-15, दिनांक-

ई-मेल

प्रतिलिपि:- उप महाप्रबंधक, NICSI, नई दिल्ली, ई-मेल:-narendra.kumar@nic.in
(ई-मेल दिनांक-10.03.2025 के प्रसंग में)/मो० जावेद मंजर, Group Head-LRC Project, NIC, Patna
ई-मेल:-jmanzar@nic.in/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी,
सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना/विभागीय प्रशाखा-5 'बजट शाखा' (आवंटन निर्गत करने
हेतु)/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(डॉ० सुनील कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9A/ऑनलाईन सेवाएँ (मानव बल)-03-03/2024-.....895(9)/रा०पटना-15, दिनांक-7/4/25

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ
प्रेषित।

7.04.2025

(डॉ० सुनील कुमार),
सरकार के अवर सचिव।